

**ऑनलाइन प्रपोजल संख्या-FP/UP/ROAD/25036/2017 में लगाई गयी आपत्तियों की
बिन्दुवार आख्या वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बांदा)**

क्रम सं०	नोडल अधिकारी, लखनऊ की आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण	टिप्पणी
1	प्रस्तावित परियोजना वन भूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु शीर्षक में बाधक वृक्षों की संख्या 1767 अंकित की गयी है जो कि त्रुटिपूर्ण है।	बाधक वृक्षों की संख्या संशोधित कर प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या-49
2	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों की वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न है किन्तु संलग्न सूची में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित है किन्तु मोहर नहीं लगी है तथा प्रस्ताव में संलग्न सारांश पुनः ऑनलाइन पार्ट-2 के अनुसार Girth Wise बनाकर संलग्न नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन भाग-2 में वृक्षों का Local Name भी फीड नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित करा दी गयी है तथा प्रस्ताव में सारांश ऑनलाइन पार्ट-2 के अनुसार Girth Wise बनाकर संलग्न कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन भाग-2 में वृक्षों का Local Name भी फीड कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या-51 से 89 तक
3	प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवन्त वन भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन पुनः ऑनलाइन भाग-2 में बिना प्रभागीय वनाधिकारी की हस्ताक्षर वाली प्रति अपलोड की गयी है।	प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवन्त वन भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन ऑनलाइन भाग-2 में प्रभागीय वनाधिकारी की हस्ताक्षर वाली प्रति अपलोड कर दी गयी है।	पृष्ठ संख्या-91 से 98
4	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-36 पर संलग्न क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के व्यय वहन की वचन बद्धता में वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल कुलसारी वन ब्लाक अंकित किया गया है जबकि उपयुक्तता प्रमाण पत्र में बहादुरपुर स्योढ़ा वन ब्लाक का उल्लेख है। अतः संशोधित करें।	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के व्यय वहन की वचन बद्धता में वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल कुलसारी वन ब्लाक संशोधित कर बहादुरपुर स्योढ़ा वन ब्लाक का उल्लेख कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या- 42
5	वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र पुनः मूल में संलग्न नहीं किया गया है।	मूल में संलग्न कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या- 50
6	हार्ड कापी भाग-1(V) में लागत लाभ विश्लेषण का विवरण पुनः त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।	लाभ विश्लेषण संशोधित कर संलग्न कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या- 117 से 120
7	ऑनलाइन भाग-2 में जिले की प्रोफाइल में विवरण हार्ड कापी भाग-2 के अनुरूप न होकर पुनः भिन्न-भिन्न अंकित किया गया है। अतः एक समान उचित विवरण अंकित करें।	ऑनलाइन भाग-2 में जिले की प्रोफाइल में विवरण हार्ड कापी भाग-2 के अनुरूप न होकर पुनः भिन्न-भिन्न अंकित किया गया था जिसे ठीक कर दिया गया है।	ऑनलाइन
8	प्रस्ताव में पूर्व में वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न थी, जिसमें किमी० संख्या त्रुटिपूर्ण अंकित थी एवं वन भूमि की कानूनी स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी। जिसे प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है, जबकि ऑनलाइन-भाग-2 में पूर्व की त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड है। अतः संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संशोधित कर संलग्न कर दी गयी है। ऑन लाइन अपलोड की कार्यवाही वन संरक्षक कार्यालय द्वारा की जानी है।	पृष्ठ संख्या-130
9	हार्ड कापी भाग-1 (i) में किमी० 41.350 से किमी० 42.00 तक आर०ओ०बी० के लिए प्रस्तावित है। अतः प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है। का उल्लेख किया गया है। अतः स्पष्ट करें कि क्या यह संरक्षित वन भूमि में प्रस्तावित है अथवा गैर वन भूमि में?	हार्ड कापी भाग-1 (i) में किमी० 41.350 से किमी० 42.00 तक आर०ओ०बी० के स्थान पर के लिए प्रस्तावित न होकर दीर्घ सेतु के लिए प्रस्तावित है। जिससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है तथा हार्ड कापी भाग-1 (i) में संशोधन भी कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या-131
10	प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में अधिकांश प्रमाण पत्र बाईंडिंग के बाद भी निकले हुये हैं, जिनके खोने का भय है तथा प्रमाण पत्रों को क्रमवार भी संलग्न नहीं किया गया है। अतः तीनों प्रस्तावों में एक समान क्रमवार प्रमाण पत्र लगाते हुए बाईंडिंग करें।	प्रस्ताव की तीनों प्रतियों की नई बाईंडिंग के पश्चात् विषय सूची संलग्न करते हुए समस्त प्रमाण पत्र क्रमवार लगा दिये गये हैं।	


(एम०पी० गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, बांदा।